9/2020/04(Budget 8)

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 329 /डी.एम.सी./ब-07/2020/चार

भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल 2020

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश

विषय :- कोविड - 19 के कारण सहायता जुटाने हेतु सभी शासकीय सेवकों के अप्रैल 2020 के वेतन से कटौती की जाकर मुख्यमंत्री सहायता कोष में राशि जमा किये जाने के संबंध में।

......

विषयान्तर्गत विभिन्न कर्मचारी संगठनों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्रीजी को पत्र प्रेषित कर यह इच्छा व्यक्त की गई है कि कोरोना महामारी से निपटने के लिये राज्य शासन के शासकीय सेवकों के एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष मे जमा किया जाए। इस संबंध में राज्य शासन द्वारा परिपत्र क्रमांक 94706 डी.एम.सी./ब-07/2020/चार भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2020 निर्देश जारी किये गये थे।

राज्य शासन के ध्यान में यह जानकारी लाई गई है कि कुछ कर्मचारियों द्वारा अपने माह मार्च के वेतन से एक दिन के मूल वेतन की राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा कराई जा चुकी है। अतः उपरोक्त परिपत्र क्रमांक 94706 डी.एम.सी./ब-07/2020/चार भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2020 को निरस्त करते हुये निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :-

2/ शासकीय सेवकों के माह अप्रैल के वेतन से (जो कि मई माह में देय होगा) एक दिन के मूल वेतन की राशि की कटौती की जाये। ऐसे शासकीय सेवकों, जिनके द्वारा स्वेच्छा से माह मार्च के मासिक वेतन से IFMIS के माध्यम से कोष में अंशदान दे दिया गया है उनके माह अप्रैल के वेतन से कटौती की आवश्यकता नहीं रह जाती है। यदि कोई शासकीय सेवक उपर्युक्त से अधिक या कम राशि की कटौती अथवा किन्ही कारणों से असहमति व्यक्त करना चाहता है तो तदनुसार संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी को लिखित में दिनांक 20/04/2020 तक आवश्यक रूप से अवगत करा सकता है। ऐसे शासकीय सेवकों, जिनके द्वारा स्वेच्छा से माह मार्च में अंशदान दिया गया है, को छोड़कर अन्य शासकीय सेवकों के संबंध में इस अवधि सीमा में अन्यथा कोई सूचना प्राप्त न होने पर शासकीय सेवक की सहमति मानी जावेगी।

3/ कृपया उपरोक्तानुसार कटौत्रा राशि, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सहायता कोष के भारतीय स्टेट बैंक, वल्लभ भवन शाखा, खाता क्रमांक 10078152483 - आई. एफ. एस. सी. - SBIN0001056 में संचालित खाते में जमा किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

संचालक बजट
मध्यप्रदेश शसन, वित्त विभाग

Scanned with CamScanner

4929/2020/04(Budget 8)

///2///

भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल 2020

क्रमांक 330 /डी.एम.सी./ब-07/2020/चार

प्रतिलिपि:-

01. राज्यपाल, मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन, भोपाल।
02. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल।
03. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल।
04. महालेखाकार (लेखा और हकदारी) मध्यप्रदेश ग्वालियर / भोपाल।
05. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर।
06. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल।
07. महाधिवक्ता / उपमहाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल / इन्दौर / ग्वालियर
08. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
09. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय, भोपाल।
10. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश।
11. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश।
12. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल।
13. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघ।
14. समस्त कोषालय अधिकारी / उप कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
15. संभागीय / जिला पेंशन अधिकारी, मध्य प्रदेश।
16. मध्य प्रदेश शसन के वित्त अधिकारी (स्थाई सूची अनुसार)।
17. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं सभी अधीनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारी को अवगत करावे।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शसन, वित्त विभाग

Scanned with CamScanner